संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2018 उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अन्देश

उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व सभी उम्मीदवार नीचे उल्लिखित अपने संगत मूल दस्तावेजों को 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन भी कर लें और उसे अधिकतम 1 एमबी तक की अलग अलग पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल, पासवर्ड के जरिए सुरक्षित न हो और इस फाइल को डीएएफ को ऑनलाइन सब्मिट करते समय ही अपलोड किया जाना चाहिए।

- (I) आय् संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (II) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3 (IV) और भारत के राजपत्र दिनांक **25 अप्रैल, 2018** में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 6 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (III) अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (IV) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबद्ध न होने के समर्थन में संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति। यह परिवचन परिशिष्ट-। के पैरा बी-1 में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- (V) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए और हस्ताक्षर किए गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
- (VI) आयु में रियायत के दावे, जहां कहीं लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (VII) भूतपूर्व सैनिक होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों के मामले में निर्मुक्ति प्रमाण-पत्र स्कैन की गई प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों सहित, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

- 2. उम्मीदवारों द्वारा इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचनाओं का मिलान इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से किया जाएगा। यदि कोई गंभीर विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द/निरस्त कर दी जाएगी।
- 3. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने आवेदन-प्रपत्र के कॉलम 10 में सेवाओं/बलों के लिए अपना वरीयता-क्रम निर्दिष्ट करें ताकि योग्यता में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयताओं पर पूरा ध्यान दिया जा सके। सहायक कमांडेंट पद पर नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों ही पात्र हैं।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न सेवाओं/बलों के लिए वरीयता का उल्लेख करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। आयोग उम्मीदवारों दवारा अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट की गई वरीयताक्रम के संबंध में परिवर्धन/परिवर्तन किए जाने के संबंध में किसी भी अन्रोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-प्रपत्र में उन सभी सेवाओं/बलों का वरीयताक्रम से उल्लेख करें, जिनके लिए वे पात्र हैं। यदि कोई उम्मीदवार किसी सेवा/बल के लिए अपनी वरीयताक्रम नहीं देता/देती है, तो यह मान लिया जाएगा कि इन सेवाओं/बलों के लिए उसकी कोई विशिष्ट वरीयता नहीं है। यदि उसे उन सेवाओं/बलों में से किसी एक सेवा/बल का आबंटन नहीं किया जाता है, जिनके लिए उसने वरीयता दी है, तो उसे शेष बची किसी भी ऐसी सेवा/बल के लिए आबंटित कर दिया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों की वरीयता के अनुसार सभी उम्मीदवारों को आबंटित कर लेने के पश्चात् रिक्तियां बाकी हों। 4. यदि कोई उम्मीदवार किसी अन्सूचित जाति/अन्सूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का होने का दावा करता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर पर रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से <u>परिशिष्ट-I</u> में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाण-पत्र जारी करने वाला अधिकारी, ऐसा अधिकारी होना चाहिए, जिसे संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पदनामित किया गया हो। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यू हो गई हो, तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा, जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न अन्य

5. उम्मीदवार, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने और संगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ उसे भरने के लिए वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> का प्रयोग करें।

प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।

6. उम्मीदवार, आयु के प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म की तारीख उल्लिखित है) की स्कैन की गई प्रति अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपलोड करेंगे। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है, जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रिजस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। ऐसे उम्मीदवार, जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, वे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड कर सकते हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा इस प्रकार के अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं अपलोड किया गया तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो उसे

केवल आयु से संबंधित प्रविष्टि वाले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

- 7. उम्मीदवार, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई दिनांक 25 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना के पैरा 3(IV) तथा भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई परीक्षा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत विनिर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप अपनी शैक्षणिक योग्यता को दर्शाते प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति भी जमा करेंगे। अपलोड किया गया प्रमाण-पत्र, योग्यता-विशेष प्रमाणित करने वाले संबंधित प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय अथवा अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी हुआ होना चाहिए।
- 8(i) नियम 5(ख)(iv) के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को जम्मू व कश्मीर राज्य के उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यत: रहा हो या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक अविध के दौरान वह सामान्यत: जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहा हो।
- (ii) आयु में छूट का दावा करने वाले ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी जैसा उनके अपने मामले में अपेक्षित है, प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति संबद्ध प्राधिकारियों से लेकर परिशिष्ट-II में दिए गए प्रपत्र में अपलोड करें।
- 9. नियम 5(ख)(iii) के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख से **परिशिष्ट-!!!** में दिए गए प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना होगा।
- 10. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेट) परीक्षा, 2018 में उनकी उम्मीदवारी पूर्णत: अनन्तिम है तथा यह उनकी निर्धारित पात्रता की शर्तों को वह पूरा करने पर आधारित है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया गया कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी आयोग दवारा रद्द कर दी जाएगी।
- 11. जिन मामलों में ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र सभी अनुलग्नकों रहित या मात्र कुछेक अनुलग्नकों सिहत प्राप्त होंगे, उनमें संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि उम्मीदवार छूट गए दस्तावेजों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र को भली-भांति भरा गया है।

<u>परिशिष्ट-I</u>

(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-

	प्रमाणित	किया	जाता है	कि	श्री/श्रीमर्त	ो/कुमारी*					सुप्	पुत्र/स्	पुत्री'
श्री				जो व	गांव/कस्बा	*		जिला/म	iਤਕ*		;	राज्य	ा/संघ
राज्य ध	तेत्र [*]			के/की*	निवासी	第		अनुसूचित	जाति/ज	नजाति*	के/की*	हैं ,	जिसे
निम्नति	भेखित के	अधीन :	अनुसूचि	त जा	ति/अनुसूरि	वेत जनज	गति* के	रूप में म	ान्यता दी	गई है	:-		
	_	_											

सविधान (अनुसूचित जातिया) आदेश, 1950 @

सविधान (अनुसूचित जनजातिया) आदेश, 1950 @

सविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

सविधान (अनुस्चित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

[अनुस्चित जातियां और अनुस्चित जनजातियां की सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन)

अधिनियम, १९७६, मिजारम राज्य अधिनियम, १९८६, अरुणीचल प्रदेश राज्य अधिनियम, १९८६ तथा
गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित]
संविधान (जम्म् और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @
संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां
तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित@
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 @
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुस्चित जनजातियां आदेश, 1967 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 @
संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @
<u>संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @</u>
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @
<u>संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @</u>
संविधान (अनुस्चित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @
संविधान (अनुस्चित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं।
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा*
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा*
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा*
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा* जो जोती/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती* को
%2 अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा* जो जी जाति/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/
%2 अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा* जो जो जीत/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती* को जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।
%2 अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा* जो जो ति/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुस्चित जाति/जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती* को नारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। %3 श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका परिवार आमतौर से ग्राम/
%2 अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा* जो जाति/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/ जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती* को नारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। %3 श्री/श्रीमती/कुमारी* जीता/मंडल* और/या* उनका परिवार आमतौर से ग्राम/ कस्बा* जिला/मंडल* जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य
%2 अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा* जो जोत/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/ जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती* को जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। %3 श्री/श्रीमती/कुमारी* जीला/मंडल* ग्राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ग्राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
%2 अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*
%2 अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*
%2 अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी៖
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*

20 में है।

- ** अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची :
- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/##सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर ।
 - ## (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो) ।
- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो ।
- (iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।
- (ख) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म ।
- प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी* ------ सुपुत्र/सुपुत्री* श्री/श्रीमती ------ के गांव/कस्बा*------ के गांव/कस्बा*------के/की* निवासी हैं ------ समुदाय के/की हैं जिसे निम्नांकित के अधीन अन्य पिछड़ी श्रेणी होने की मान्यता प्राप्त है :-
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं 12011/68/93-बी.सी.(सी.)।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 का संकल्प सं 12011/9/94- बी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 का संकल्प सं 12011/7/95-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं-12011/96/94-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं-12011/44/96- बी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं-12011/99/94-बी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं-12011/13/97- बी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं-12011/68/98-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं-12011/88/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं.12011/36/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं-12011/44/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं-12011/9/2000-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं.12011/1/2001-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं-12011/4/2002-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं 12011/9/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं.12011/14/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं-12015/2/2007-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं-12015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं-12015/15/2008-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसंबर, 2011 का संकल्प सं.12015/13/2010-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं-12015/05/2011-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 16 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2015 का संकल्प सं-12011/04/2014-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 26 में दिनांक 23 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 23 जनवरी, 2015 का संकल्प सं-12011/07/2014-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 144 में दिनांक 27 मई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 2015 का संकल्प सं 12011/01/2015-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 191 में दिनांक 15 जुलाई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 2015 का संकल्प सं.12015/05/2011-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 234 में दिनांक 09 सितंबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर, 2015 का संकल्प सं-12011/06/2014-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 160 में दिनांक 26 मई, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 2016 का संकल्प सं.12011/13/2016-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 15 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2016 का संकल्प सं.12011/14/2016-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 206 में दिनांक 30 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2016 का संकल्प सं.12011/15/2016-बी.सी.-II

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 266 में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संकल्प सं-12011/04/2014-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 363 में दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 06 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं.12011/06/2014-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 374 में दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 22 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं.12011/13/2016-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 18 में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 18 जनवरी, 2017 का संकल्प सं-20012/01/2017-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 31 जुलाई, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 28 जुलाई, 2017 का संकल्प सं 12011/01/2017-बी.सी.-II ।

श्री/श्रीमती/कुमारी" जीर/या उनका परिवार सामान्यतया जिला/
मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
में निवास करते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार
के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा. सं 36012/22/93-स्था (एस.सी.टी.), दिनांक 9.3.2004 के का.ज्ञा.
सं 36033/3/2004-स्था0(आरक्षण) और दिनांक 14.10.2008 के ज्ञा सं 36033/3/2004-स्था (आरक्षण) तथा
दिनांक 27.05.2013 और दिनांक 13.09.2017 के का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची
के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों*(क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

हस्ताक्षर
**पदनाम
(कार्यालय की मोहर)

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र
स्थान
तारीख
@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें या जो लागू न हो उसे काट दें।
(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों
द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले परिवचन का प्ररूप।
<u>परिवचन</u>
मैं निवासी ग्राम/ कस्बा/
शहर जिला एतद्वारा
यह घोषणा करता/करती हूं कि मैंसमुदाय से संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा. सं 36012/22/93-स्था (एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के
अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है। मैं
यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए दिनांक 8.9.1993 के ऊपर
संदर्भित का.ज्ञा. और दिनांक 9.3.2004 तथा दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा. सं.36033/3/2004-
स्थाः(आरक्षण) तथा दिनांक 27.5.2013 और दिनांक 13.09.2017 के का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-
स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गीं *(क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं ।
हस्ताक्षर
उम्मीदवार का नाम
अनुक्रमांक
नोट : अ.पि.व. उम्मीदवारों के बारे में का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) दिनांक 27.5.2013 में
दिया गया क्रीमी लेयर से संबंधित खंड।
* उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों।
@ जो लागू न हों उसे काट दें ।
नोट: यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की
धारा 20 में है ।
** अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो
अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं ।
टिप्पणी 1 : अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि
उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय
सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के
नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
टिप्पणी 2 : उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के
किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा जिससे उसके पिता मूलतः सम्बद्ध हैं। अतः वह उम्मीदवार जो एक
राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन कर चुका है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत
करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिसमें (पिता) मूलत: सम्बद्ध है से प्राप्त अन्य पिछड़ी
श्रेणी के प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया हो।
टिप्पणी 3 : आयोग, सामान्यत: उम्मीदवार द्वारा इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में
दर्शायी गई जातीय स्थिति में किसी आधार पर किसी भी परिवर्तन की अनुमित नहीं देगा।
<u>परिशिष्ट-II</u>
(क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म
प्रमाणित किया जाता है कि सं, रैंक नाम,
जिनकी जन्मतिथि है, ने से तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है और
वह निम्नलिखित शर्त को पूरा करते हैं:-

उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और वे सुपुर्द कार्य की समाप्ति पर
कार्यमुक्त हुए हैं, न कि उन्हें कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त किया गया है।
स्थान:
तारीख:
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
मुहर
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष
के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।
मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं
रैंक दिनांक से थल
सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने
विनियोजन की विनिर्दिष्ट अविध पूरी करने वाले हैं ।
स्थान
दिनांक
कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर
"ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित परिवचन प्रस्तुत करना होगा :-
उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला परिवचन :
मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो
मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करने के
अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूं और यह कि
समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली,
1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ ।
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
स्थान
दिनांक
(ग) प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन
अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अविध पहले ही पूरी कर ली है और
नियुक्ति की बढ़ाई गई अविध पर हैं।
यह प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक नाम,
जिनकी जन्मतिथि है, से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं।
2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा को पूरी कर ली है और अब
वे तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।
3. सिविल रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन-पत्र देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा उनका
चयन हो जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया
जाएगा।
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
मोहर
•
स्थान
स्थान दिनांक
दिनांक

थल सेना--मिलिटरी सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। नौसेना -- कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना -- कार्मिक निदेशालय (अधिकारी), वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में:-थल सेना --- विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा । नौसेना --- बी.ए.बी.एस., मुंबई । वायु सेना --- वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली ।

<u>परिशिष्ट-!!!</u>

सरकारी कर्मचारी के रूप में आयु में छूट का दावा प्रस्तुत	करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने
वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*	स्थायी/अस्थायी [*]
पद पर	मंत्रालय/विभाग में दिनांक
से कार्यरत हैं ।	
	हस्ताक्षर
	पदनाम
	मंत्रालय/कार्यालय
	कार्यालय की मोहर

* जो लागू न हो उसे कृपया काट दें ।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination, 2018 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE APPLICATION FORM

The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to separate pdf files up to 1 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

- (I) Scanned copy of the certificate of age.
- (II) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(IV) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and Rule 6 of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 25th April, 2018.
- (III) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes (wherever applicable).
- (IV) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix I.
- (V) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
- (VI) Scanned copy of the certificate in support of claim of age concession, wherever applicable.
- (VII) Scanned copy of Discharge Certificate if claiming to be an Exserviceman.

Originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidate must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

- 2. The information earlier given by candidates in the Application Form for the Examination through online will be cross-checked with the information given by them in this Detailed Application Form online. If there will be any serious discrepancies, their candidature is liable to be rejected / cancelled.
- 3. Candidates are required to indicate in column 10 of the Application Form their order of preference for the Services/Forces so that having regard to the rank in order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointment. Both Male and Female candidates are eligible for appointment to the post of Assistant Commandants.
- **Note:** The candidate is advised to be very careful while indicating preferences for various Services/Forces. No request for additions/alteration in the preferences indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission. The candidate is also advised to indicate all the Services/Forces in the order of preference in his/her application form for which he/she is eligible. In case he/she does not give any preference for any Services/Forces, it will be assumed that he/she has no specific preference for those Services/Forces. If he/she is not allotted to any one of the Services/Forces for which he/she has indicated preference, he/she shall be

allotted to any of the remaining Services/Forces in which there are vacancies after allocation of all the candidates who can be allocated to Services/Forces in accordance with their preferences.

- 4. A candidate who claims to belong to the Schedule Castes or the Schedule Tribes or the Other Backward Classes should upload in support of his/her claim a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer of the district in which his/her parents (or surviving parent) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.
- 5. A candidate must fill up and submit online Detailed Application Form along with scanned copies of the relevant documents by using the website www.upsc.gov.in.
- 6. A candidate must upload along with his/her online Detailed Application Form, a scanned copy of certificate of age (indicating his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may upload a scanned copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must upload in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate a scanned copy of the certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/ Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is uploaded with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

- Note 1: A candidate who holds a completed secondary school certificate need to upload a scanned copy of the page containing entries relating to age only.
- Note 2: Candidates should note that only the date of birth as recorded in the matriculation / higher secondary examination certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.
- 7. A candidate must upload copy of a certificate showing his/her educational qualification prescribed in Para 3(IV) of the Notice for the Examination dated **25**th **April**, **2018** uploaded on the website of Commission and in Rule 6 of the Rules for the Examination published in the Gazette of India (Extraordinary) on **25**th **April**, **2018** which is uploaded on the website of Commission. The

certificate uploaded must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.

- 8(i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should upload a scanned copy of a certificate from the District Magistrate in the State of Jammu and Kashmir within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989 under Rule 5(b)(iv).
- (ii) Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate as applicable to them, in the form given in **Appendix-II**, from the authorities concerned.
- 9. Government servants claiming age concession under Rule 5(b)(iii) should upload a certificate in original, from Head of their Office/ Department in the form given in **Appendix III.**
- 10. The candidates should note that their candidature for the Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination, 2018 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.
- 11. Any online Detailed Application Form received without all or some of the enclosures will entail cancellation of candidature. Any missing enclosures sent subsequently by the candidate will not be entertained. The candidates must ensure that the Application Form is properly filled in through online

APPENDIX-I

(A) The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951@.

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@.

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.@

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.@

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.@

the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.@
the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.@
the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.@
the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.@
the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991.
the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.@
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002@
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002@
the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment)
Act, 2002@
The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002@
%2. Applicable in the case of Schedule Castes/Scheduled Tribes persons who
have migrated from one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes
certificate issued to Shri/Shrimati* father/mother of
Shri/Shrimati/Kumar* of village/town*
in District/Division* of the State/Union Territory*
who belongs to the caste/tribe*
which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union
Territory* of issued by the
Dated
%3. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her*
family ordinarily reside(s) in village/town* of
District/Division* of the State/Union Territory* of
Signature
**Designation
(With Seal of Office)
State/Union Territory*
Place:
Date:
*Please delete the words which are not applicable.
@Please quote specific Presidential order.
%Delete the paragraph which is not applicable.
NOTE: The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as
in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled
Tribe/OBC Certificates.
(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate /

Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

- #(not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
 - (iii) Revenue Officers not below the rank of tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
- (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.186 dated the 13th September, 1993.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19.10.94 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.163 dated 20.10.1994.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24.5.95 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.88 dated 25.5.1995.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th April, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.60 dated 11th April, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated 11th December, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.239 dated 17th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.236 dated 12th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.241 dated the 27th October, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.270 dated the 6th December, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated the $4^{\rm th}$ April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.71 dated the $4^{\rm th}$ April, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated the 21st September, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001`published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.246 dated the 6th September. 2001.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/1/2001-BCC dated the 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.151 dated the 20th June, 2003.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I Section-I, No. 9 dated the 13th January, 2004.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I Section-I, No. 10 dated the 16th January, 2006.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004 -BCC dated 12th April, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I Section-I, No. 67 dated the 12th April, 2007.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.232 dated the 18th August, 2010.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12th October, 2010.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/15/2008-BCC dated the 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16th June, 2011.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/13/2010-BC-II dated the 08th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.257 dated the 08th December, 2011.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/05/2011-BC-II dated the 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.41 dated the 17th February, 2014.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14th January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14th January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23rd January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23rd January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27^{th} May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27^{th} May, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14th July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15th July, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09th September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09th September, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25th May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26th May, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13th June, 2016 published in

the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15th June, 2016.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30th June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11th August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11th August, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06th December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07th December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22nd December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22nd December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/01/2017-BC-II dated the 18th January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the 19th January, 2017.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2017-BC-II dated the 28th July, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 31st July, 2017.

S	hri/Shrimat	1/ Kum	ıarı*			and/or*	his	/her*	tamıly
ordinari	ly reside(s) in	village/	town*		• • • • • • • • •	of		
District,	Division* of	the S	tate/Unioı	n Territoi	ry* of		• • • • •		

This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8.9.1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (res.) dated 9th March, 2004 and 14th October, 2008 and O.M. No.36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 27th Ν

and 14.	October, 200	o and o.w.	110.50055/	1/2010-Batt.(Rcs.)	uattu	4111.
May, 201	3 and dated 13	th September	, 2017.			
				Signature		
			**	Designation		
			(With Seal o	of Office) State/Uni	ion Terri	itory
Place:			•	,		
Date :						
@ Please	auote specifi	c President	ial order o	r strike out whic	hever i	s no

applicable (B-1) The format of undertaking to be furnished along with the Detailed

Application Form by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

UNDERTAKING I son/daughter of Shri resident of Village/Town/City District State/ UT hereby declare that I belong to the Community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel & Training Office Memorandum No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 8.9.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the

Estt.(Res.) dated 27th May, 2013 and dated 13th September, 2017 as amended from time to time.
Signature
Name of the Candidate
Roll No
Note: Creamy layer clause in respect of OBC candidates must be as per OM
No.36033/1/2013-Estt (Res) dated 27.5.2013.
*Please delete the words which are not applicable.
@Strike out whichever is not applicable.
NOTE: The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
**Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be
the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe
certificates.
Note 1 : Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name
of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be
exactly the same as published in the lists notified by the Central Government
from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will
not be accepted.
Note 2 : The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the
State (or part of the State) to which his/her father originally belongs. A
candidate who has migrated from one state (or part of the State) to another
should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to
him/her based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.
Note 3: No change in the community status already indicated by a
candidate in his/her simplified application form for this examination will ordinarily be allowed by the Commission
ordinarily be allowed by the Commission.
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel.
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel.
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name whose date of birth is has rendered service from to in
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition —
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition — Has rendered five or more years military service and has been released on
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition — Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition — Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station:
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition — Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station:
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition — Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station:
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition -
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition - Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other- wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station:
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition — Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station: Date:
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition - Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station: Date:
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition — Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station:
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other- wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station: Signature and Designation of the Competent Authority SEAL (B) Form of certificate for serving personnel (Applicable for serving personnel who are due to be released within one year). I hereby certify that, according to the information available with me No Rank Name is serving in the Army/Navy/ Air Force from and is due to complete the
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition — Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station:
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition - Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station: Date: Signature and Designation of the Competent Authority SEAL (B) Form of certificate for serving personnel (Applicable for serving personnel who are due to be released within one year). I hereby certify that, according to the information available with me No Rank is serving in the Army/Navy/ Air Force from and is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the date
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition — Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station:
ordinarily be allowed by the Commission. APPENDIX-II (A) Form of certificate applicable for Released/Retired Defence personnel. It is certified that No Rank Name to in Army/Navy/Air Force and he fulfils the following condition - Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other— wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. Station: Date: Signature and Designation of the Competent Authority SEAL (B) Form of certificate for serving personnel (Applicable for serving personnel who are due to be released within one year). I hereby certify that, according to the information available with me No Rank is serving in the Army/Navy/ Air Force from and is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the date

above referred Office Memorandum, dated 8.9.1993, O.M. No.36033/3/2004-Estt.(Res) dated 19.3.2004 and 14.10.2008 and O.M. No.36033/1/2013-

Candidate furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking:-

Undertaking to be given by the candidate:

I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to ex-servicemen in terms of the Exservicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as

amended from time to time.
Signature of candidate
Place: Date:
(C) Form of Certificate applicable for serving ECOs/SSCOs who have
already completed their initial assignment and are on extended
assignment.
It is certified that No Rank Name
whose date of birth is is serving in the Army/Navy/Air Force from
2. He has already completed his initial assignment of five years or and is on extended assignment till
3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment. Station: Date:
Name and Designation of the Competent Authority
SEAI
Authorities who are competent to issue certificate are as follows:
(a) In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs. Army – Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi.
Navy – Directorate of Personnel, Naval Hqrs. New Delhi.
Air Force – Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.
(b) In case of JCO/Ors and equivalent of the Navy and Air Force.
Army – By various Regional Record Offices.
Navy - BABS, Bombay.
Air Force – Air Force Records NERW, New Delhi.
APPENDIX-II
Form of Certificate to be produced by Candidates claiming age relaxation
as Govt. servants
Certified that Shri/Shrimati/Kumari*
01
Signature
Designation
Ministry/Office
Office Stamp

^{*}Strike out whichever is not applicable.